

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.18(1)नविवि / प.ई.नी./ 2015

जयपुर, दिनांक

आदेश

पर्यटन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(1)पर्यटन/2022 दिनांक 10.06.2024 द्वारा राजस्थान पर्यटन इकाई नीति—2015 की कार्यशील अवधि दिनांक 31.05.2026 अथवा नवीन पर्यटन इकाई नीति तैयार होने, जो भी पहले घटित हो, तक बढ़ाये जाने के फलस्वरूप इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार इस विभाग के आदेश क्रमांक प.18(1)नविवि / प.ई.नी./ 2015 दिनांक 06.06.2015 को भी उसी अनुरूप समान अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. शासन उप सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय नविवि।
7. आयुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण।
8. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

शासन उप सचिव—प्रथम